भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
आतारांकित प्रश्न सं. 2244
12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

ई-साक्षी पोर्टल शुरु किया जाना

2244. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एमपीलैड्स का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शुरू किए गए नए ई-साक्षी पोर्टल के कार्यान्वयन के कारण परिचालन और व्यावहारिक कठिनाई को दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस पोर्टल के संबंध में शिकायतों के निवारण हेतु एक प्रभावी तकनीकी टीम गठित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त विवरणिका में 17वीं लोक सभा के दौरान अनुशंसित और जारी किए गए कार्यों को 18वीं लोक सभा की अनुसूची में शामिल करने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू की है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शिकायतों के निवारण हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख) एमपीलैड योजना के अन्तर्गत, माननीय सांसद ई-साक्षी पोर्टल पर विकास कार्यों की अपनी संस्तुति भेजते हैं। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी नियमों तथा एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला प्राधिकरणों द्वारा कार्यों को स्वीकृत और कार्यान्वित किया जाता है। ई-साक्षी पोर्टल के डैशबोर्ड के माध्यम से, विभिन्न हितधारक स्वीकृत और कार्यान्वित कार्यों की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।

एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा-3.2.4 में प्रावधान है कि संसद सदस्य द्वारा की गई सभी पात्र अनुशंसाओं के सम्बन्ध में स्वीकृति/अस्वीकृति कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा अनुशंसाओं की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।

मौजूदा एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा-3.2.12 में यह प्रावधान है कि कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए स्वीकृति पत्र में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य पूरा करने की समय सीमा निर्धारित

की जाएगी, जो सामान्यत: एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। असाधारण मामलों में, उदाहरण के लिए दुर्गम /पहाड़ी इलाकों आदि में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष से अधिक होने की संभावना है, इसके लिए विशिष्ट औचित्य को स्वीकृति पत्र में शामिल किया जाएगा।

मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 10.6.1 में प्रावधान है कि कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य, जो विधिवत स्वीकृत हैं, उसके पद छोड़ने की तारीख से 18 महीने के भीतर पूरे हो जाएं।

(ग) ई-साक्षी पोर्टल की निरंतर समीक्षा की जाती है और इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। मंत्रालय नियमित रूप से विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक का मूल्यांकन करके पोर्टल की उपयोगिता में सुधार करने और इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पोर्टल अपने संचालन में सक्रिय और कुशल बना रहे।

(घ) ई-साक्षी पोर्टल से परिचितता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों और सांसद (एमपी) सहित हितधारकों के लिए कार्यशालाएं, वेबिनार और व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, एमपीलैड्स प्रक्रियाओं और ई-साक्षी पोर्टल के साथ सांसदों की सहायता के लिए प्रत्येक संसद सत्र (मानसून सत्र 2023 से) के दौरान कियोस्क स्थापित किए जाते हैं। सांसदों और हितधारकों की सहायता के लिए सत्र अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक हेल्पडेस्क संचालित होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें सुचारू निधि उपयोग के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो। मंत्रालय ने ई-साक्षी पोर्टल के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल और निर्देशात्मक वीडियो भी mplads.sbi पर उपलब्ध हैं।

(ड.) और (च.) ई-साक्षी पोर्टल माननीय सांसदों को पोर्टल पर अनुशंसा देखें/संपादित करें कार्यक्षमता के माध्यम से अपनी अनुशंसाएँ देखने/संपादित करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने दिनांक 07.11.2024 (अनुलग्नक I) के पत्र के माध्यम से एमपीलैड्स के तहत जिला प्राधिकरणों द्वारा ई-साक्षी पोर्टल पर ऑफ़लाइन स्वीकृत कार्यों को अपलोड करने के लिए एक बार की छूट दी।

*****

अनुबंध -I

{दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2244 के उत्तर के भाग (ड.) और (च.) में संदर्भित अनुबंध}

सी-07/2021-एमपीलैड्स-भाग(6)
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीलैड्स प्रभाग

खुर्शीद लाल भवन, जनपथ
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 07.11.2024

सेवा में,

सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: जिला अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कार्यों को एमपीलैड्स के ई-साक्षी पोर्टल पर ऑफलाइन अपलोड करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कुछ सांसद (एमपी), राज्य नोडल प्राधिकरणों (एसएनए), नोडल जिलों आदि से माननीय पूर्व सांसदों की संस्तुतियों और जिला प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत कार्यों को ई-साक्षी पोर्टल पर ऑफलाइन अपलोड करने के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

2. इस संबंध में, यह बताया जाता है कि दिनांक 1 अप्रैल 2023 से ई-साक्षी पोर्टल, जिसने एमपीलैड योजना के लिए पूर्ण: वास्तविक समाधान (एंड टू एंड सोल्युशन) प्रदान किया, के शुभारंभ के बाद, संशोधित एमपीलैड दिशानिर्देश, 2023 के अनुरूप सभी कार्यों को माननीय सांसदों द्वारा अनुशंसित और जिला अधिकारियों द्वारा केवल पोर्टल के माध्यम से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है तथापि, विभिन्न जिला प्राधिकरणों ने ई-साक्षी पोर्टल के बाहर कई कार्यों को ऑफलाइन मंजूरी दी और उन्हें कार्यान्वित किया।

3. इस मंत्रालय द्वारा इस मामले की समीक्षा की गई है और ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (संलग्न सूची के अनुसार) को इस संक्रमण चरण के दौरान एक बार की छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दी गई है, जिन्होंने अपने भौतिक खातों में पर्याप्त धनराशि न होने के बावजूद ऑफ़लाइन कार्य स्वीकृत किए हैं। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन ऑफ़लाइन स्वीकृत कार्यों को ई- साक्षी पोर्टल पर अपलोड करने में सक्षम होंगे और नवीन निधि प्रवाह प्रणाली के तहत पोर्टल के माध्यम से विक्रेताओं को लंबित भुगतान संसाधित करने में सक्षम होंगे।

4. पूर्व सांसद मॉड्यूल के अंतर्गत ऐसे ऑफ़लाइन स्वीकृत कार्यों के लिए प्रविष्टियाँ संबंधित एसएनए द्वारा की जाएँगी। इस संबंध में, निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

i. जिला प्राधिकारी ऑफलाइन स्वीकृत कार्यों की सूची और संबंधित राशि को प्रमाणित करेंगे तथा राज्य नोडल एजेंसियों के अनुमोदन के बाद सूची को केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के साथ साझा करेंगे।

ii. सीएनए इन कार्यों की ऑफलाइन प्रतिबद्ध मात्रा को पोर्टल पर दर्ज करेगा।

iii. जिला प्राधिकारियों द्वारा दिए गए प्रमाणन में यह पुष्टि भी शामिल होगी कि माननीय सांसदों ने कार्यों की संस्तुति की है तथा जिला प्राधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इन कार्यों को मंजूरी दे दी है।

iv. सीएनए द्वारा दर्ज किए गए विवरण एसएनए स्क्रीन पर दिखाई देंगे। बदले में केंद्रीय नोडल एजेंसियों राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सीमा और ई-साक्षी पोर्टल पर जिला अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर संस्तुति करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि स्वीकृत कार्य समय पर पूरे हो जाएं।

5. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे कार्यों को प्रमाणित करने और उन्हें ई साक्षी पोर्टल पर दर्ज करने की उत्तरदायित्व पूरी तरह से राज्य नोडल प्राधिकरणों (एसएनए) के पास होगी। यह नई निधि प्रवाह प्रक्रिया के संक्रमण चरण के दौरान ऑफ़लाइन स्वीकृत कार्यों को ऑनबोर्ड करने की सुविधा के लिए प्रदान की गई एक बार की छूट है।

6. अत: राज्य नोडल एजेंसियां और संबंधित जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल ई-साक्षी पोर्टल पर अनुशंसित कार्यों को ही मंजूरी दी जाए।

शुभेचछु

-sd-

(रूपाली गुप्ता)
उप निदेशक